कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाडा

रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) की नियम एवं शर्त

दन्तेवाडा जिले के हाई स्कूलों में मिनी साईंस लेब की स्थापना एवं गणित एवं विज्ञान शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना है, जिसकी दरें अनुमोदित की जानी है। इसके के लिए अधिकृत इच्छुक फर्म से सील बंद दो पृथक–पृथक लिफाफे में दिनांक 16/03/2020 को दोपहर 2.00 बजे तक कार्यालय जिला अधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाडा में प्रस्तुत कर सकते है। नीचे दिये गये नियम एवं शर्तों के अनुसार रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित की गई है।

शर्तें:–

1. मिनी साईंस लेब की सामग्री हेतु अमानत (अर्नेस्टमनी) राशि के रूप में रूपये 3,75,000/– (शब्दों में :– तीन लाख पचहत्तर हजार रूपये मात्र) का बैंक सावधि जमा पत्र /बैंक ड्राप्ट के रूप में जो जिला शिक्षा अधिकारी, जिला दन्तेवाडा को देय, जमा करना अनिवार्य होगा।
2. जो फर्म अर्नेस्टमनी की छूट हेतु अधिकृत है वे प्रमाण–पत्र तथा शासन के अभिप्रमाण प्रस्तुत करें।
3. मिनी साईंस लेब की स्थापना में आवश्यक सभी सामग्री फर्म संचालक के द्वारा वहन कर स्थापित किया जायेगा। (स्थापना हेतु समस्त सामग्री)
4. प्रस्तुत किया गया लिफाफा सील /मोहर बंद होना आवश्यक है। लिफाफा रजिस्टर्ड, स्पीड पोस्ट या स्वयं उपस्थित होकर जमा करने की अंतिम तिथि 16/03/2020 को दोपहर 2.00 बजे तक ही स्वीकार की जावेगी।
5. फार्म पर जी.एस.टी. नम्बर व दिनांक अंकित होना चाहिए।
6. फार्म के साथ **PAN NO** एवं **GSTIN NO** की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
7. प्रस्तुत दर में सभी प्रकार के टेक्स सम्मिलित रहेंगे।
8. दरें स्वीकृत होने पर, कार्यादेश जारी किया जायेगा। आदेश के मान से निर्धारित अवधि के अन्दर सामग्री की पूर्ति दन्तेवाडा जिला अन्तर्गत शालाओं में स्वयं के व्यय पर पहुंचाकर स्थापित किया जाना होगा।
9. मिनी साईंस लैब की स्थापना के पश्चात् चयनित शालाओं के संबंधित गणित एवं विज्ञान विषय शिक्षको को प्रशिक्षित करना अनिवार्य होगा इसके लिये किसी प्रकार के अतिरिक्त राशि का भुगतान नही किया जावेगा।
10. स्थापित होने के पश्चात समिति द्वारा भौतिक सत्यापन किया जायेगा। भौतिक सत्यापन संतोषप्रद होने के उपरांत कुल राशि की 60 प्रतिशत राशि भुगतान किया जायेगा। शिक्षको को प्रशिक्षित करने के उपरांत शेष राशि 40 प्रतिशत का भुगतान किया जायेगा।
11. निवेदक का गत वार्षिक आवर्त 150.00 लाख होना चाहिये।
12. निवेदक को पिछले तीन वर्ष का बैलेंस सीट प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।
13. निवेदक को मिनी साईंस लैब बनाने का अनुभव होना चाहिये, कार्यादेश की फोटो कापी संलग्न करना अनिवार्य है, तथा दोनों कार्यादेश की राशि 30.00 लाख रूपये से ज्यादा की होनी चाहिए।

14. जिन फर्मो का आवेदन अस्वीकार किया जावेगा, उन्हे पृथक से सूचना नही दी जायेगी।
15. रूचि की अभिव्यक्ति दिनांक 17/03/2020 को समिति के समक्ष दोपहर 3.00 बजे अधोहस्तारकर्ता के कार्यालय में खोली जायेगी। संबधित फर्म संचालक या प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित हो सकते है।
16. फर्म द्वारा दो पृथक- पृथक लिफाफे में प्राप्त की जावेगी। प्रथम लिफाफे मे आवश्यक दस्तावेज सुरक्षानिधि, उसमें छूट संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त किये जावेंगे, एवं द्वितीय लिफाफे में दरें प्रस्तुत की जावेगी। पहले प्रथम लिफाफे खोला जावेगा। सभी शर्त पूर्ण करने वाली फर्म का ही द्वितीय लिफाफा खोला जावेगा। लिफाफा के ऊपर नम्बर लिखना अनिवार्य हैं।
17. रूपये 1000=00 कार्यालय में नगद राशि जमा कर कार्यालयीन समय में फार्म तथा अन्य जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।
18. किसी भी फार्म को मान्य करने अथवा अमान्य करने का अधिकार जिला समिति दन्तेवाडा को होगा।
19. कार्यादेश जारी होने के पश्चात निर्धारित अवधि में मिनी साईन्स लेब स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा आदेश स्वमेव समाप्त माना जावेगा एवं आपके द्वारा प्रस्तुत अमानत राशि राजसात की जावेगी।
20. मिनी साईंस लेब स्थापना संबंधी किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर कलेक्टर महोदय जिला दन्तेवाडा का निर्णय अंतिम एवं सर्व मान्य होगा।

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाडा